

व सुन वाद 3) 89 ला 31 निया आ
 कौल वादी 31 पत्र पत्र क. आ 22 निया
 3 CPC स्वीकार किया जाता है
 कौल वादी संशोधित शिष्टी पेश
 कर पत्रावली कागजी दिनांक 24/4/18
 को पेश की

उपखण्ड अधिकारी
 रामगढ शेखावादी

24/4/18

पत्रावली पेश हुई। कौल वादीगण प्रतिवादागण
 उपस्थित। एस.डी.ओ. साहब अन्य कार्य में
 व्यस्त है प्रमन पर है। मिलन त्त आदेशानुसार
 दिनांक 10/5/18 को पेश हो

रुम वाहीगण
 सहप्रती से राज

10/5/18
 10/5/18
 10/5/18

पत्रावली राजस्व लेव ठाडालत/डैम्प कोर्ट
 दोषण में पेश हुई। पत्रावली राजस्व
 पत्रावली ने अग्रिम किया कि धारे बीच
 राजीनामा से चुका है अतः एम एड
 वाद चलका गरी चाहते हैं तथा वाद
 खारिज करवाना चाहते हैं अतः वादीगण
 का वाद बाबत उद्घोषणा संशोधित खाता
 तथा सामग्री निपेदाका का खारिज किया
 जाता है पत्रावली केसल सुनार होकर
 नम्बर से का हो गायिल इतर
 हो निमित्त दिनांक 10/5/18 को डैम्प
 कोर्ट दोषण में खुले न्यायालय में
 सुनारा गया

सखवा 115
 खारिज करवा
 बाइत है
 सुमाष

कुन्नीसाम

कमला

शरत

शुलता

गोदा

उपखण्ड अधिकारी
 रामगढ शेखावादी (सिकर)
 लोक अदालत / डैम्प कोर्ट 2018
 मम पंचायत..... 10/5/18